

ई-मेल

र-पॉस्ट पोस्ट

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)-462011

—00—

क्रमांक-एफ-38-01/2009/तीन/1634
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/12/2009

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त (म0प्र0)


विषय:- त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 शपथ-पत्र हेतु पर्याप्त मात्रा में स्टाम्प उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:- आयोग का ज्ञापन क्रमांक एफ-37-07/2009/तीन/1618-1620 दिनांक 21/12/2009

-0-

सदरभित पत्र द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है । कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 26/12/2009 से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है । सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य को नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है जिसे स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है । अतः अत्यधिक मात्रा में शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले स्टाम्प की आवश्यकता होगी । कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि दिनांक 02/01/2010 तक कोषालय एवं उप कोषालय में पर्याप्त मात्रा में शपथ-पत्र हेतु उपयोग में आने वाले स्टाम्प पेपर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(अनुपम राजन)
सचिव,


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
फोन नं0 0755-2555527

#3

पृष्ठांकन एफ-38-01/2009/तीन/1635
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 23/12/2009

- (1) महानिरीक्षक पंजीयन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (2) कोषालय अधिकारी, जिला-समस्त मध्यप्रदेश की ओर समान कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
फोन नं0 0755-2555527

#3